संख्या- 14 2022/~~2021~~/ई-2000485/71-3099/19/2021-03

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 24 जनवरी, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में सेन्ट्रल गैस पाइप लाइन सिस्टम एवं गैस प्लान्ट रूम भवन के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2021-22/710, दिनांक 21.12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में सेन्ट्रल गैस पाइप लाइन सिस्टम एवं गैस प्लान्ट रूम भवन के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 278.07 लाख की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में सेन्ट्रल गैस पाइप लाइन सिस्टम एवं गैस प्लान्ट रूम भवन के निर्माण कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित लागत रू0 556.07 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 278.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-65/2021/641/71-3-2021-14/2020, दिनांक 17.05.2021 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में सेन्ट्रल गैस पाइप लाइन सिस्टम एवं गैस प्लान्ट रूम भवन के निर्माण कार्य अनुमोदित लागत के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 139.00 लाख (रू0 एक करोड़ उनतालिस लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2021-22 में उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

5- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा तथा उक्त मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

6- प्रश्नगत प्रायोजना से सम्बन्धित मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-65/2021/641/71-3-2021-14/2020, दिनांक 17.05.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसंधान-105-एलोपैथी-80-मेडिकल कालेज, अयोध्या-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

Signed by कुलदीप कुमार रस्तोगी
Date: 21-01-2022 18:17:21
Reason: Approved

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, अयोध्या।
4. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग-4
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र–9(1) (संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर–158) (इस पत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भंली–भांति देख लिया जाय)

• अनुदान संख्या–31–चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण	वित्तीय वर्ष 2021-22			प्रपत्र–बी0एम0–9	(रू0 लाख में)
निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) पूँजी	आवेदन पत्र देने के दि0 उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दि0 पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–					
78–मा0 अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ–					
24–वृहद निर्माण कार्य	9000.00	139.00	139.00	139.00	8861.00
योग–	**9000.00**	**139.00**	**139.00**	**139.00**	**8861.00**
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) पूँजी	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–					
80–मेडिकल कालेज, अयोध्या–					
24–वृहद निर्माण कार्य	300.00	439.00	139.00	139.00	439.00
कुल योग–	**300.00**	**439.00**	**139.00**	**139.00**	**439.00**

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:–

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत पूँजी लेखा पक्ष में 78–मा0 अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में मानक मद 24–वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0 139.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–

शासकीय पत्र दिनांक–21.10.2021 एवं प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, अयोध्या के पत्र संख्या–मे0का0अ0/2021/1343 दिनांक–18-08-2021 के कम में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या में सेन्ट्रल मेडिकल गैस पाइप लाइन सिस्टम की स्थापना हेतु अवशेष धनराशि के रूप में देय धनराशि रू0 139.00 लाख की पुर्नविनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्तावित की जा रही है।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

कुलदीप कुमार रस्तोगी
संयुक्त सचिव।

संख्या–आरई–280/ई–3–599/दस–2022, दिनांक 17.01.2022

सेवा में

महालेखाकार
लेखा एवं हकदारी प्रथम,
उ0प्र0 इलाहाबाद

संख्या–.....

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चि0शि0 एवं प्रशि0, उ0प्र0 लखनऊ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (तीन प्रतियों में)
6. गार्ड फाइल।

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव,
चिकित्सा शिक्षा विभाग।

(पवित्र कुमार)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग।